रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112023-250313
CG-DL-E-30112023-250313

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4863] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2023/अग्रहायण 8, 1945
No. 4863] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023/AGRAHAYANA 8, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2023

का.आ. 5075(अ).—वन (संरक्षण एवं संवर्धन), अधिनियम, 1980 (1980 का 69) (इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' के रूप में अभिप्रेत) की धारा 2 की उप-धारा (2) सहपठित धारा 3 (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निबंधनों और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए एतद्वारा एक आदेश जारी करती है, जिसके अध्यधीन भूकंपीय सर्वेक्षण सहित पूर्व-परीक्षण, पूर्वेक्षण, जांच या अन्वेषण जैसे किसी भी सर्वेक्षण को गैर-वन कार्यकलाप के रूप में नहीं माना जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार छूट पर विचार करते समय राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों, जैसा भी मामला हो, द्वारा इन निबंधनों और शर्तों का पालन किया जाएगा:

1. वन भूमि में खनन प्रयोजनों के अलावा जल विद्युत परियोजनाओं, पवन चक्की संयत्रों की स्थापना, पारेषण लाइनों, रेलवे लाइन आदि जैसी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षणों, भूकंपीय सर्वेक्षणों सहित, को तब तक वनेतर प्रयोजनों के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि इन सर्वेक्षणों में वन भूमि का खंडन या वृक्षों की कटाई शामिल नहीं है और गतिविधि कार्य केवल झाड़ियों को साफ करने और वृक्षों की शाखाएं कांटने-छांटने के उद्देश्य तक सीमित है। तथापि, वन भूमि में प्रवेश तथा ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए संबंधित प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 अथवा संबंधित राज्य वन अधिनियम के तहत राज्य वन विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी।

2. खनन प्रयोजनों के लिए वन भूमि में सर्वेक्षण, जिसमें बोर होल की ड्रिलिंग तथा गड्ढों की खुदाई के कारण वन भूमि का खंडन शामिल है, को तब तक वनेतर प्रयोजन नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसे सर्वेक्षणों में प्रति 10 वर्ग किमी

में 4 इंच व्यास के 25 बोर होल या भूकंपीय सर्वेक्षण के मामले में प्रति वर्ग किमी में 6.5 इंच व्यास के 80 शॉट होल के सर्वेक्षण और ड्रिलिंग के लिए प्रस्तावित समस्त क्षेत्र में 100 वृक्षों की कटाई शामिल नहीं है। 100 से अधिक वृक्षों की कटाई और/या प्रति 10 वर्ग किमी में 4 इंच व्यास के 25 से अधिक बोर होल या प्रति वर्ग किमी में 6.5 इंच व्यास के 80 से अधिक के शॉट होल की ड्रिलिंग वाले प्रस्तावों के लिए उक्त अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

3. पेट्रोलियम खनन पट्टों की जुड़ी उन अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, जिसके परिणामस्वरूप न तो वन भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन होता है और न ही हाइड्रोकार्बन का उत्पादन, को उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) के प्रावधानों से छूट दी जाएगी।

4. राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रस्ताव के आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित मौजूदा प्रपत्रों का उपयोग करेंगे और ऐसे प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु कार्यवाही उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसार परिवेश पोर्टल पर की जाएगी।

5. संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, बाघ रिजर्वों, बाघ गलियारों आदि में खनिजों के खनन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। खनन के अलावा अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्रों में सर्वेक्षण, स्थायी समिति, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की पूर्व अनुमति या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

6. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रस्तावों को प्राप्त करने और स्वीकार करने तथा उक्त अधिनियम के तहत भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों को निपटाने वाले नोडल अधिकारी के माध्यम से उन पर कार्यवाही और प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख या किसी अधिकारी, जिसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए के लिए, कम से कम उप वन संरक्षक रैंक के अधिकारी को अधिकृत कर सकता है।

7. सर्वेक्षणों में वृक्षों की कटाई शामिल होने के मामले में, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, प्रयोक्ता एजेंसी 10 वर्षों के लिए ऐसे पौधों के रखरखाव की लागत के साथ-साथ प्रति बोर होल 100 वृक्ष की अधिकतम सीमा तक वृक्षों के वनीकरण की लागत का भुगतान करेगी। राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि पौधों को परित्यक्त बोर-होल क्षेत्रों या अवक्रमित वन भूमि पर कार्य योजना में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार लगाया जाए।

8. भूकंपीय सर्वेक्षणों के मामले में, प्रयोक्ता एजेंसी शॉट होल साइट के पास दो लंबे पौधों के रोपण की लागत के साथ-साथ 10 वर्षों के लिए ऐसे पौधों की रखरखाव लागत का वहन करेगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वसूली गई धनराशि का उपयोग कार्य योजना के विनिर्देशों के अनुसार अवक्रमित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को संपूरित करने के लिए किया जाएगा।

9. वन भूमि के विखंडन संबंधी सर्वेक्षणों के संबंध में निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) वसूला जाएगा और बोर होल के प्रभाव क्षेत्र, जो प्रति बोर होल 0.1 हेक्टेयर पाया गया है के आधार पर राज्य कैम्पा के खाते में जमा किया जाएगा, प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रति बोरहोल 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र से किसी भी भिन्नता के बारे में सूचित किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता एजेंसी से वसूले गए प्रतिपूरक शुल्कों को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण के खाते में जमा किया जाएगा।

11. उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा 1 के खंड (ii) के तहत खनिज निष्कर्षण के लिए समान वन भूमि के अपवर्तन हेतु अनुमोदन प्राप्त किए जाने के मामले में एनपीवी की लागत के लिए वसूली जाने वाली धनराशि, अप्रतिदेय होगी और जमा की गई एनपीवी की उक्त धनराशि को लगाए जाने वाले अनुमानित एनपीवी के साथ समायोजित किया जाएगा।

12. वन भूमि के भूमि उपयोग में किसी भी स्थायी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर्वेक्षण कार्यकलापों को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अस्थायी रूप से किया जाएगा और सर्वेक्षण पूरा करने के बाद, वन भूमि का पुनरूद्धार किया जाएगा और इसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता एजेंसी मशीनरी और सामग्रियों के परिवहन के लिए मौजूदा वन सड़कों का उपयोग करेगी और वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए वन क्षेत्र में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किसी नवीन या नई सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा। सड़कों की अनुपलब्धता के मामले में, प्रयोक्ता एजेंसी, मैनुअल रूप से मशीनरी और सामग्री का परिवहन सुनिश्चित करेगी।

14. प्रयोक्ता एजेंसी कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व समस्त वन क्षेत्र में पूर्वेक्षण/अन्वेषण/भूकंपीय सर्वेक्षण हेतु राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के नोडल अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को विस्तृत प्रचालन योजना प्रस्तुत करेगी।

15. प्रयोक्ता एजेंसी दो वर्ष की अवधि के अंदर सर्वेक्षणों को शुरू और पूरा करेगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दो वर्ष की अवधि के अंदर सर्वेक्षण कार्य शुरू या पूरा नहीं किए जाने के मामले में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा दिए गए अनुमोदन को रद्द माना जाएगा और वन भूमि का कब्जा स्थानीय वन विभाग द्वारा ले लिया जाएगा। तथापि, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना के शुरू या पूरा होने में विलंब के लिए वैध और ठोस कारण प्रस्तुत करने के अध्यधीन इस अवधि को एक और वर्ष तक बढ़ा सकते हैं।

16. उक्त अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित सर्वेक्षण प्रस्तावों पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी :

(i) उक्त अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित वन भूमि के सर्वेक्षण, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) के उपबंधों के तहत शामिल नहीं किए जाएंगे और ऐसे प्रस्तावों को अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा :

बशर्ते कि ऐसे प्रस्ताव, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) के तहत राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्तर पर विचाराधीन अनुमोदन के दौरान, परियोजना कार्य शुरू करके प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि उल्लंघन किया जाता है, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा मंत्रालय द्वारा जारी संगत दिशानिर्देशों के अनुसार दंडात्मक उपबंधों के अध्यधीन होंगे।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालय या उनके उप-कार्यालय, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जिनके अधिकार क्षेत्र में उक्त अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित प्रस्ताव आता है, उक्त अधिनियम की धारा 3क और 3ख के उपबंधों और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी संगत दिशानिर्देशों के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे।

17. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, वन क्षेत्रों में सर्वेक्षणों के लिए अनुमति पर विचार करने से पूर्व, ऐसे सर्वेक्षणों पर यथा लागू अन्य सभी अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों की पूर्ति और अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

18. वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण संचालित करने के लिए दी गई अनुमतियों से संबंधित विभिन्न प्राधिकरणों की कार्यवाहियों जैसे बैठकों के कार्यवृत्त, प्रदान किए गए अनुमोदनों की प्रतियां, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत निगरानी रिपोर्ट आदि का ब्यौरा संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

19. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और प्रयोक्ता एजेंसी प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार वन भूमि के उपयोग की अनुमति देते समय लगाई गई शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे और ऐसी निगरानी रिपोर्ट की एक प्रति भविष्य के संदर्भों के लिए परिवेश पर अपलोड की जाएगी। इस प्रकार की निगरानी के दौरान यदि शर्तों के अनुपालन में कोई कमी पायी जाती है, तो उसे इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी संगत दिशा-निर्देशों के अनुसार सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

20. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), स्थानीय वन अधिनियम या वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 से संबंधित किसी मुद्दे के कारण मुकदमेबाजी या न्यायाधीन वन भूमि संबंधी प्रस्तावों पर ऐसे मामलों में पारित न्यायालयों/अधिकरणों के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

21. सर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

22. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (2) के तहत दिए गए अनुमोदनों की एक प्रति उपलब्ध कराएंगे और मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय या केंद्रीय सरकार द्वारा सूचना, अभिलेख और निगरानी हेतु मांगे जाने पर प्रस्तावों और ऐसे आदेशों का ब्यौरा भी प्रस्तुत करेंगे।

23. मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध सूचना के आधार पर या परिवेश पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, उक्त अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुपालन हेतु ऐसे प्रस्तावों या कार्यों की निगरानी और उसके तहत कार्रवाई कर सकता है।

24. केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) के तहत राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या किसी भी संगठन को उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए स्पष्टीकरण या निर्देश, जो भी इन दिशानिर्देशों के संबंध में आवश्यक हो, जारी कर सकती है।

[फा. सं. एफसी - 11/61/2021-एफसी]

रमेश कुमार पाण्डेय, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2023

S.O. 5075(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 read with section 3 C of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, (69 of 1980) (hereinafter referred to as said Adhiniyam), the Central Government hereby issues an order specifying the terms and conditions, subject to which any survey, such as, reconnaissance, prospecting, investigation or exploration including seismic survey, shall not be treated as non-forest purpose. These terms and conditions shall be followed by the State Government or Union territory Administration while considering exemptions provided under sub-section (2) of section 2 of the said Adhiniyam, namely:-

1. Surveys, including seismic surveys other than for mining purposes, to be undertaken in the forest lands for developmental projects such as hydro-electric projects, establishment of wind energy farms, transmission lines, railway line, etc. shall not be treated as non-forest purpose as long as these surveys do not involve any breaking of forest land or cutting of trees and operations are restricted to clearing of bushes and lopping of trees branches for purpose of sighting. However, prior permission of the State Forest Department under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or the State Forest Act will be obtained by the user agency concerned for entry and carrying out such surveys in the forest lands.

2. Surveys in the forest lands for mining purposes which involve breaking of forest land by way of drilling the bore holes and digging the trenches, such as for mining, shall not be treated a non-forest purpose as long as such surveys involve felling of up to hundred trees in the entire areas proposed for survey and drilling of twenty five boreholes of four inch diameter per ten square kilometre or eighty shot holes of 6.5 inch diameter per square kilometre in case of seismic surveys. Proposals involving felling of more than hundred trees or drilling of more than twenty five bore holes per ten square or more than eighty shot holes of six inch diameter per square kilometre shall require prior approval of the Central Government under the Adhiniyam.

3. Exploratory drilling of Petroleum Mining Leases, neither resulting into permanent change in the forest land use nor in production of hydrocarbon, shall also be exempted from the provisions of the sub-section (2) of section 2 of the Adhiniyam.

4. The State Government and Union territory Administration shall use the existing Forms developed by the Central Government for submission of proposals, and such proposals shall be processed for approval on the PARIVESH (ProActive and Responsive facilitation by Interactive and Virtuous Environmental Singlewindow Hub) Portal in the light of sub-section (2) of section 2 of the Adhiniyam.

5. No surveys for mining of minerals shall be undertaken in the protected areas such as National Parks, Wildlife Sanctuaries, Tiger Reserves, Tiger Corridors. Survey in the protected areas for developmental projects other than mining shall be undertaken only after obtaining the approval of the Standing Committee of the National Board for Wildlife or as per the guidelines issued by the Central Government in this regard.

6. The State Government or Union territory Administration may authorise an officer not below the rank of the Deputy Conservator of Forests to receive and accept the proposals and process them through the Nodal Officer, dealing with the matters related to land transfer under the Adhiniyam for obtaining the approval of the Principal Chief Conservator of Forests, Head of Forest Force or an officer as may be authorised by the State Government or the Union territory Administration to grant approval.

7. In case the surveys involve felling of trees, as specified above, the user agency shall pay the cost of afforestation of trees, to the extent of hundred tree per bore hole along with maintenance cost of such plants for ten years. The State Government or the Union territory Administration shall ensure that the plants are planted on abandoned bore-hole areas or in the degraded forest land as per prescriptions given in the working plan.

8. In case of seismic surveys, the user agency shall bear the cost of plantation of two tall plants near the shot hole site along with the maintenance cost of such plants for ten years. The State Government shall ensure that the money charged shall be used to supplement plantation in degraded forest areas as per working plan prescriptions.

9. The Net Present Value, in respect of surveys, involving breaking of forest land, shall be charged and deposited into the account of State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority on the basis of impact area of a bore hole which is observed to be 0.1 ha per bore hole. Any variation from 0.1 ha area per borehole shall be informed by the user agency at the time of submission of the proposal.

10. Compensatory levies realised from the user agency shall be deposited into the account of the State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority of the State or Union territory Administration, managed by the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority.

11. The amount to be realised towards the cost of Net Present Value shall be non-refundable and the said deposited amount of Net Present Value shall be adjusted against the estimated Net Present Value to be levied, in case approval is obtained for the diversion of the same forest land for mineral extraction, under clause (ii) of sub-section 1 of section 2 of the Adhiniyam.

12. No permanent change in the land use of the forest land shall be allowed. The Survey activities shall be carried out by the user agency temporarily and after completing the survey, the forest land will be reclaimed and restored to its original state.

13. The user agency shall use the existing forest roads for the transportation of machineries and materials and no new or fresh road will be constructed by the user agency in the forest area for undertaking surveys in the forest areas. The user agency shall also ensure the transport of machineries and materials manually in case of non-availability of roads.

14. The user agency shall submit a detailed plan of operation for prospecting or exploration or seismic survey in the entire forest area prior to the start of work to the Nodal officer of the State Government or the Union territory Administration.

15. The user agency shall commence and complete the surveys within a period of two years. In case, no commencement or completion of surveys work is undertaken by the user agency within a period of two years, the approval granted by the State or Union territory Administration shall stand rejected and the possession of the forest land will be taken over by the local Forest Department. However, the State Government or the Union territory Administration subject to submission of valid and cogent reasons for delay in commencement or completion of the project beyond two years by the user agency, can extend the period by another year.

16. Surveys proposals, involving violation of the Adhiniyam shall be dealt with in the following manner, namely:-

 (i) Surveys in the forest land involving violation of the Adhiniyam shall not be covered under the provisions of sub- section (2) of section 2 of the Adhiniyam and such proposals shall be submitted for ex-post facto approval of the Central Government under the Adhiniyam:

 Provided that proposals, where approval under sub-section (2) of section 2 of the Adhiniyam is under consideration of the State Government or Union territory Administration and a violation is committed by the user agency by commencing the project work, shall be subjected to the penal provisions by the State or Union territory Administration, as per the relevant provisions made by the Central Government in this regard;

 (ii) Regional Office or their Sub-Offices, State Governments or the Union territory Administrations, under whose jurisdiction, the proposal involving violation of the Adhiniyam falls, shall take legal action against the offenders in accordance with the provisions of Section 3A and 3B of the Adhiniyam and the relevant guidelines issued by the Central Government in this regard;

17. The State Government or Union territory Administration prior to considering permission for surveys in the forest areas, shall ensure fulfilment and compliance of the provisions of all other Acts and rules made thereunder, as applicable to such surveys.

18. Detail of proceedings of the various authorities such as minutes of the meetings, copies of approvals granted, monitoring reports submitted by the user agency, pertaining to permissions granted for conducting survey in the

forest areas, shall be uploaded on the PARIVESH portal by the State Governments or the Union territory Administration.

19. The State Government or Union territory Administration and the user agency shall monitor, at least once in every year, the compliance of conditions imposed while allowing the non-forestry use of forest land and a copy of such monitoring report shall be uploaded on PARIVESH portal for future references. Non-compliances, if any, observed during such monitoring, should be brought to the notice of the concerned authorities for undertaking remedial measures as per the relevant guidelines issued by the Central Government in this regard.

20. The proposals on forest land under litigation or *sub-judice* on account of an issue pertaining to the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), Local Forest Act or said Adhiniyam shall be dealt as per the judgements or orders of the Courts or Tribunals in such cases and the date of applicability of the Adhiniyam in such lands shall be in accordance with the direction, if so, passed by the Courts/Tribunals.

21. The legal status of the forest land proposed to be used for survey shall remain unchanged.

22. The State Government or Union territory Administration shall provide a copy of the approvals given under sub-section (2) of section 2 of the said Adhiniyam and shall also furnish, the details of proposals and such orders, as and when sought by the Central Government for information, record and monitoring.

23. The Regional Office of the Ministry, based on the available information provided by the State Government or Union territory Administration or as available on PARIVESH portal, can carry out monitoring of such proposals or works for compliance of relevant provisions of the said Adhiniayam and action taken thereunder.

24. The Central Government under section 3C of the said Adhiniyam may further clarify or issue directions to the State Government or Union territory Administration or to any organisation, as may be necessary with respect to these guidelines, for the implementation of the provisions of the said Adhiniyam.

[F. No. FC-11/61/2021-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.11.30 11:49:00 +05'30'